

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.4( )लेखा/अंक मिलान/2014-15/582  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

दिनांक : 01-09-14

विषय:-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों द्वारा सी.एस.एस. , प्लान व नॉन प्लान के अन्तर्गत किये गये व्यय की सूचना बाबत।

सन्दर्भ:-क्रमांक : एफ.4( )लेखा/अंक मिलान/2014-15/375 दिनांक 10.07.2014 एवं स्मरण पत्र 531 दिनांक 14.08.2014 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के द्वारा आपके अधीनस्थ कार्यालयों समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान लेखाशीर्ष 2210 के अन्तर्गत सी.एस.एस. , प्लान व नॉन प्लान के अंतर्गत किये गये व्ययों का वर्षवार विवरण निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु लिखा गया था। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्तानुसार वांछित सूचना इस कार्यालय को नहीं भिजवायी गई है।

अतः आपको पुनःनिर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों की सूचना समेकित कर दिनांक 08.09.2014 को आयोजित की जा रही लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकारों की मासिक बैठक में आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें ताकि महालेखाकार कार्यालय को भिजवायी जा सके।

क. सं.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का नाम व स्थान	बजट मद	लेखाशीर्ष 2210 के अन्तर्गत व्यय का विवरण											
			2010-11				2011-12				2012-13			
			सीएसएस	प्लान	नॉन प्लान	योग	सीएसएस	प्लान	नॉन प्लान	योग	सीएसएस	प्लान	नॉन प्लान	योग

(जी.डी. व्यास)

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 01-09-14

क्रमांक : एफ.4( )लेखा/अंक मिलान/2014-15/582

प्रतिलिपि:- प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ई-मेल भी करावें।

(जी.डी. व्यास)

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर